

**राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022**  
**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

**2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.-** राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) एवं इसके स्पष्टीकरण के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 38 के अधीन संसूचित उक्त प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित न कर दिये जायें;"  
और

(ख) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 43क" को हटाया जायेगा; और

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन क्रमवर्ती कर कालावधियों तक विवरणी" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "किसी वित्तीय वर्ष के लिए, विवरणी के दिये जाने की नियत तारीख से तीन मास के पश्चात् तक उक्त विवरणी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "लगातार छह मास की कालावधि तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी निरंतर कर कालावधि, जो विहित की जाये, तक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात् एवं विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप में" से पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए और" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा;

(घ) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ङ) तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और भी कि" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं" को हटाया जायेगा; और

(ख) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिये धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर कालावधि के लिए देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये हैं।"

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"38. आवक प्रदाय और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये गये जावक प्रदायों और ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किये जायें, के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए स्वतःजनित विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध करवाया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के मद्धे, प्राप्तिकर्ता द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सके,-

- (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो विहित की जाये; या
- (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी कालावधि के लिए, जो विहित की जाये, जारी रहा है; या
- (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उक्त उप-धारा के अधीन उसके द्वारा दिये गये जावक प्रदाय के विवरण के अनुसार, उक्त

- कालावधि के दौरान उसके द्वारा संदत आउटपुट कर ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या
- (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग किया है, जो उस प्रत्यय से जिसका उसके द्वारा खण्ड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, से ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या
- (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, धारा 49 की उप-धारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
- (vi) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किया जाये।"।

**7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(i) उप-धारा (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस दिवसों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह दिवसों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (7) में विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देता है,-

(i) माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के समतुल्य रकम; या

(ii) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अवधारित रकम,

का सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किये जायें, संदाय करेगा:";

(iii) उप-धारा (9) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, यदि" के स्थान पर शब्द "जहां" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए, या दूसरी तिमाही के लिए, विवरणी देने की नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विवरणी नहीं दी गयी है।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये हों।"

**8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 41 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अपनी विवरणी में स्वतःनिर्धारित पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन उपभोग किये गये इनपुट कर का प्रत्यय, जिस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ लौटाया जायेगा:

परन्तु जहां ऐसा प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदाय के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा लौटायी गई प्रत्यय की रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, पुनः उपभोग कर सकेगा।"।

**9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 42, 43 और 43क का हटाया जाना.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 42, 43 और 43क को हटाया जायेगा।

**10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 47 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "या आवक" को हटाया जायेगा;
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 38" को हटाया जायेगा; और
- (iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात् तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन के ब्यौरे नियत तारीख तक" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 52" अंतःस्थापित की जायेगी।

**11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे" हटायी जायेगी।

**12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

- (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 43क" को हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी शर्तों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अध्यक्षीन रहते हुए" के पूर्व अभिव्यक्ति "और निर्बंधनों" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, आउटपुट कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सके।"

**13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 50 में विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत रूप से उपभोग और उपयोग कर लिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गये ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा, यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर जो अधिसूचित की जाये पर ब्याज का संदाय करेगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जायेगी।"

**14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (6) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जाएगी।



**15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "छह मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iii) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (3) के अधीन" हटायी जाएगी; और

(iv) उप-धारा (14) के पश्चात् के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में विद्यमान उपखण्ड (ख) के पश्चात् तथा विद्यमान उपखण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित नया उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, उन्हें ऐसे प्रदाय या यथास्थिति, ऐसे प्रदायों में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"।

**16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.-** (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018

संशोधित हो जायेगी और प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट उस अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से, समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

**17. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.-** (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29 जून, 2017 संशोधित हो जायेगी और द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के

अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

**18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट.-** (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर और 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान, मत्स्य तेल को छोड़कर, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाले) के उत्पादन के दौरान उत्पन्न अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में, कोई राज्य कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु, यदि उप-धारा (1) समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

**19. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव.-** (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-72 दिनांक 30 सितंबर, 2019 समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 को और से तथा सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट

अधिसूचना समस्त तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

**प्रथम अनुसूची**  
[धारा 16 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और अधिसूचना संख्या एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-V-104 तारीख 20 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित समस्त कृत्य।"	22 जून, 2017

**द्वितीय अनुसूची**  
[धारा 17 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(56)वित्त/ कर/2017-पार्ट-I-39 तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (3) में, अंक "24" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	1 जुलाई, 2017

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

(i) विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 को उसकी उप-धारा (2) में एक नया खण्ड (खक) अंतःस्थापित करते हुए संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, किसी प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल तभी किया जा सकेगा जब ऐसा प्रत्यय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 38 के अधीन संसूचित ब्यौरों में निर्बंधित नहीं किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (4) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे बीजक या नामे नोट संबंधित है, की समाप्ति के पश्चात् 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी दिये जाने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

(ii) विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण, यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिये उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास पश्चात् तक नहीं दी गयी हो, रद्द किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (2) के खण्ड (ग) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उन निरंतर कर कालावधियों को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिनके लिये विवरणी नहीं दी गयी है जो उसके खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिये दायी बनायेगी।

- (iii) विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् तीस नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, को उस वित्तीय वर्ष में किए गये किसी प्रदाय के संबंध में जमा पत्र जारी करने की अंतिम तारीख के रूप में उपबंधित किया जा सके।
- (iv) विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए शर्तों और निर्बंधनों को और उसके साथ संबंधित प्राप्तिकर्ताओं को ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरों को संसूचित करने की रीति और समयावधि के साथ शर्तों और निर्बंधनों को विहित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक को और उप-धारा (2) को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार प्रक्रिया से बचा जा सके।

यह उप-धारा (3) को भी संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये ब्यौरों के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, जैसा कि उक्त धाराओं को हटाये जाने के लिए प्रस्तावित है, और यह



किसी वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् तीस नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की तारीख, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, को उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में त्रुटियों या लोप का सुधार करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में उपबंधित करने के लिए प्रस्तावित है।

यह उप-धारा (4) को अंतःस्थापित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरों को कर-कालावधिवार अनुक्रम में फाइल करने का उपबंध किया जा सके।

- (v) विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 के स्थान पर नयी धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। उप-धारा (1), ऐसे अन्य प्रदायों के साथ ही आवक प्रदायों के ब्यौरों की संसूचना का प्ररूप और रीति, समय, शर्तों और निर्बंधनों तथा प्राप्तिकर्ता को स्वतःजनित विवरण के माध्यम से इनपुट कर प्रत्यय विहित करने और विवरणी फाइल करने में दो तरफा संचार प्रक्रिया से बचने के लिए, उपबंध करने के लिए ईप्सित है।

उप-धारा (2) आवक प्रदायों के ब्यौरों, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय उपलब्ध हो सकेगा और ऐसे प्रदायों के ब्यौरों, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकेगा, का उपबंध करने के लिए ईप्सित है।

- (vi) विधेयक का खण्ड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (5) का संशोधन करने के लिए ईप्सित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी कराधेय व्यक्ति एक मास के लिए विवरणी, उस मास के अंत के पश्चात् तेरह दिन के भीतर या धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण कालावधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, देगा।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (7) के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी देने वाले व्यक्तियों को एक विकल्प का उपबंध किया जा सके कि वे या तो स्वतः निर्धारित कर का संदाय करें या ऐसी रकम का संदाय करें, जो विहित की जाए।

यह धारा 37 और धारा 38 के निर्देश को हटाकर उप-धारा (9) को और उक्त उप-धारा (9) के परंतुक को संशोधित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् तीस नवंबर, या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, को धारा 39 के अधीन दी गयी विवरणी में त्रुटियों का सुधार करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में उपबंधित किया जा सके।

यह उप-धारा (10) को संशोधित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर कालावधि के लिये जावक प्रदायों के ब्यौरे दिये जाने को, धारा 39 के अधीन उक्त कर कालावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की शर्त के रूप में उपबंधित किया जा सके।

(vii) विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 41 के स्थान पर नयी धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे "अनंतिम" आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए "दावे" की अवधारणा को समाप्त किया जा सके और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, स्वतःनिर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपभोग का उपबंध किया जा सके।

(viii) खण्ड 9 इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेने से संबंधित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 को हटाये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे "अनंतिम" आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए "दावा"

और ऐसे प्रत्यय के पश्चात्पूर्वी मिलान, उलटाव और वापस लेने की अवधारणा को समाप्त किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान, उलटाव और वापस लेने से संबंधित धारा 43 को हटाने के लिए ईप्सित है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। यह धारा 43क को हटाये जाने के लिए भी ईप्सित है।

- (ix) विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 47 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे धारा 52 के अधीन विवरणी फाइल करने में हुई देरी के लिए विलंब फीस के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया और धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, क्योंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक प्रदायों के ब्यौरे देना अपेक्षित नहीं है।
- (x) विधेयक का खण्ड 11 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 48 की उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, क्योंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक प्रदायों के ब्यौरे देना अपेक्षित नहीं है।
- (xi) विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (4) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग के लिए निर्बंधन को विहित किये जा सकें।

इसके अतिरिक्त, यह एक नयी उप-धारा (12) को जोड़े जाने के लिए भी ईप्सित है, जिससे आउटपुट कर दायित्व के अधिकतम अनुपात को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिसको इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सकेगा।

- (xii) विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धारा (3) के स्थान पर एक नयी उप-धारा को भूतलक्षी प्रभाव से 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध किया जा सके, तथा ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना की रीति विहित किये जाने का उपबंध किया जा सके।
- (xiii) विधेयक का खण्ड 14 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उप-धारा (6) के परंतुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् तीस नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी दिये जाने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंधित किया जा सके, जिस तक उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों की परिशुद्धि को अनुज्ञात किया जायेगा।
- (xiv) विधेयक का खण्ड 15 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (1) के परंतुक को संशोधित किये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि इलेक्ट्रानिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे इसका उक्त उप-धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उस तिमाही, जिसमें प्रदाय प्राप्त किया गया था, के अंतिम दिन से दो वर्ष की समय-सीमा का उपबंध करके उप-धारा (1) के साथ संरेखन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह उप-धारा (10) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त उप-धारा की परिधि का भी प्रकार के प्रतिदाय के दावों तक विस्तार किया जा सके। यह उप-धारा (14) के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में एक नया उपखण्ड (खक) अंतःस्थापित करने के लिए भी ईप्सित है, जिससे किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को किये गये प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुसंगत तारीख के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

- (xv) विधेयक का खण्ड 16, संख्या एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-104 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन यथा उपबंधित समस्त कृत्यों के लिए, [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में, दिनांक 22 जून, 2017 से, भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचित करने के लिए, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है।
- (xvi) विधेयक का खण्ड 17 अधिसूचना संख्यांक एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29 जून, 2017 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन ब्याज की दर को, भूतलक्षी प्रभाव से, 1 जुलाई, 2017 से, अठारह प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया जा सके।
- (xvii) विधेयक का खण्ड 18, मत्स्य तेल को छोड़कर, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाले) उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिवस सम्मिलित हैं) की कालावधि के दौरान भूतलक्षी प्रभाव से राज्य कर से छूट

का उपबंध करने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने के लिए ईप्सित है कि ऐसे उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा जो पहले ही संगृहीत किया जा चुका है।

(xviii) विधेयक का खण्ड 19 राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-72 दिनांक 30 सितंबर, 2019 को, 1 जुलाई, 2017 से, भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए ईप्सित है।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने के लिए ईप्सित है कि राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो पहले ही संगृहीत किया जा चुका है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन महामहिम  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि संख्या प. 2(26)विधि/2/2022 जयपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2022

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

**वित्तीय ज़ापन**

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

अशोक गहलोट,

**प्रभारी मंत्री।**

### प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे नियमों द्वारा उपबंधित किया जा सके उन निरंतर कर कालावधियों, जिनके लिए विवरणी नहीं दी गयी है, जो उसके खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को रद्दकरण का दायी बनाती।

विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 के स्थान पर एक नयी धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। उप-धारा (1), अन्य प्रदायों के साथ-साथ आवक प्रदायों के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की स्वतःजनित विवरण के द्वारा प्राप्तिकर्ता को संसूचना के लिए प्ररूप, रीति, समय, शर्तें और निर्बंधन विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा विवरणी फाइल करने में दो तरफा संसूचना प्रक्रिया को हटाने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 41 के स्थान पर एक नयी धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे "अनंतिम" आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के "दावे" की अवधारणा को हटाया जा सके तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा उपबंधित किये जायें, स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 में उप-धारा (12) अंतःस्थापित कर उसे संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे राज्य सरकार को आउटपुट कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग, जिसका इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सके, को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।



विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धारा (3) के स्थान पर एक नयी उप-धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध किया जा सके और ऐसे मामलों में ब्याज की गणना करने की रीति का नियमों द्वारा उपबंध किया जा सके।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के मामले हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध किया जाना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

अशोक गहलोत,

**प्रभारी मंत्री।**

**राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण**

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.-** (1)      XX              XX              XX              XX              XX

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किये गये किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-

(क) से (कक)      XX              XX              XX              XX

(ख) वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता

है।

**स्पष्टीकरण.-** इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या, यथास्थिति, सेवा प्राप्त कर ली है-

- (i) जहां प्रदायकर्ता द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;
- (ii) जहां प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्धे किसी व्यक्ति को सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ग) धारा 41 या धारा 43क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदत्त न कर दिया जाए; और

(घ) XX XX XX XX

(3) XX XX XX XX XX

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

XX XX XX XX XX

**29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन.-** (1) XX XX

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,-

(क) XX XX XX XX

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले किसी व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर कालावधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की कालावधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) से (ड) XX XX XX XX

(3) से (6) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**34. जमा पत्र और नामे नोट.-** (1) XX XX XX

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा प्रदाय किया गया था, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पहले हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जायेगा:

परन्तु यदि ऐसे प्रदाय पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(3) से (4) XX XX XX XX  
XX XX XX XX XX

**37. जावक प्रदाय के ब्यौरे देना.-** (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त ऐसे प्ररूप में और रीति से जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों के किये गये जावक प्रदाय के ब्यौरे कर कालावधि के दौरान उक्त कर कालावधि के मास के उत्तरवर्ती दसवें दिवस से पूर्व या दसवें दिवस पर देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संसूचित किये जायेंगे:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिवस से पन्द्रहवें दिवस तक की कालावधि के दौरान जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उप-धारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उप-धारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के आवक प्रदायों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किये गये हैं, सत्रहवें दिवस या उससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को या तो मंजूर या नामंजूर करेगा, परन्तु कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवें दिवस से पूर्व नहीं करेगा तथा उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर कालावधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे दिये हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर कालावधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उप-धारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

XX

XX

XX

XX

XX

**38. आवक प्रदाय के ब्यौरे देना.-** (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपने आवक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा

या हटायेगा और उसमें ऐसे प्रदायों, जो धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं किये गये हैं, के संबंध में प्राप्त आवक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में कराधेय माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय या जिस पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51) की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय है तथा कर कालावधि के दौरान दसवें दिवस के पश्चात् परन्तु कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवें दिवस या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, ऐसे प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे देगा:

परन्तु आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(3) से (5)           XX           XX           XX           XX

**39. विवरणियां देना.-** (1) से (4)   XX           XX           XX

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, कलेंडर मास के अंत के पश्चात् बीस दिवसों के भीतर या धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के

अंतिम दिवस के पश्चात् सात दिवसों के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) XX XX XX XX

(7) उप-धारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, के अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु यह और कि उप-धारा (2) के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में के आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर- भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा।

(8) XX XX XX XX

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जैसाकि विहित किया जाए, सुधार करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए, या दूसरी तिमाही के लिए, विवरणी देने की नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर कालावधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए विवरणी नहीं दी गयी है।

XX XX XX XX XX

**41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अपनी विवरणी में यथा स्वतः निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए ही किया जायेगा।

**42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.-** (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर कालावधि के लिए ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, दिये गये प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे-

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर कालावधि या किसी पूर्ववर्ती कर कालावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गयी जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51)



की धारा 3 के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जायेगा।

(2) वह आवक प्रदाय, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51) की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तकर्ता को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संसूचित की जायेगी।

(3) जहां किसी प्राप्तकर्ता द्वारा आवक प्रदाय के संबंध में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं किया गया है, वहां विसंगति से दोनों ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, संसूचित किया जायेगा।

(4) इनपुट कर प्रत्यय के दावों की अनुलिपि प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, संसूचित की जायेगी।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गयी है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा सुधारा नहीं गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, को प्राप्तकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गयी है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर दायित्व में ऐसी रीति से जोड़ा जायेगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गयी रकम, जो दावों के अनुलिपिकरण के कारण आधिक्य में पायी जाती है, को प्राप्तकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें अनुलिपिकरण संसूचित किया जाता है, की विवरणी में जोड़ा जायेगा।

(7) प्राप्तकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (5) के अधीन जोड़ी गयी रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा

39 की उप-धारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उप-धाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किये जाने तक इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उप-धारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उप-धारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रानिक नकद खाता में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये गये ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उप-धारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जायेगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

**43. आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान, उलटाव और वापस लेना.-** (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर कालावधि के लिए जावक प्रदाय से संबंधित प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जायेगा-

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर

प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी कर कालावधि या अन्य पश्चात्कर्ती कर कालावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के अनुलिपिकरण के लिए।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मेल खाता है, को अंतिम रूप से स्वीकार किया जायेगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जायेगी।

(3) जहां जावक प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर प्रत्यय दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र के प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गयी है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से दी जायेगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के अनुलिपिकरण की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति से दी जायेगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गयी है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गयी है, की विधिमान्य विवरणी में सुधारा नहीं गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्कर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, की विवरणी में उस रीति से जोड़ दिया जायेगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों के अनुलिपिकरण के कारण पायी जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जायेगा, जिसमें अनुलिपिकरण संसूचित किया जाता है।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (5) के अधीन जोड़ी गयी रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने

जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उप-धारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, इस प्रकार जोड़ी गयी रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उप-धाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को उप-धारा (7) के अधीन स्वीकार किया जाता है वहां उप-धारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को, उसकी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रकम जमा करके प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उप-धारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गयी रकम में धारा 50 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

**43क. विवरणी देने और इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया.-** (1) धारा 16 की उप-धारा (2), धारा 37 या धारा 38 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा किये गये प्रदायों के ब्यौरों को सत्यापित, विधिमान्य, उपांतरित करेगा या उन्हें हटायेगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के

प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नहीं दिये गये जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में उक्त उप-धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा दिये गये ब्यौरे के आधार पर, उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अनधिक इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी जिसका इस प्रकार उपभोग किया जा सकता है।

(5) ऐसे जावक प्रदायों में विनिर्दिष्ट कर की रकम, जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन ब्यौरे दिये गये हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में मानी जायेगी।

(6) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता, संयुक्ततः और पृथक्तः, जावक प्रदाय, जिनके ब्यौरे उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन दिये गये हैं, किन्तु जिनकी विवरणी नहीं दी गयी है, के संबंध में कर संदत्त करने या, यथास्थिति, उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय संदत्त करने के लिए दायी होंगे।

(7) उप-धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलत तरीके से उपभोग की गयी एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने का उपबंध किया जा सकेगा।

(8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अवधि में दिये जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की सीमा,-

- (i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर-भीतर;
- (ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की नियत तारीख से दो मास से अधिक के लिए जारी रहता है,

ऐसी होगी जो विहित की जाए।

XX XX XX XX XX

**47. विलंब फीस का उदग्रहण.-** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित जावक या आवक प्रदायों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपये की विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) XX XX XX XX

**48. माल और सेवा कर व्यवसायी.-** (1) XX XX

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को, धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी देने और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसाकि विहित किया जाये, प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) XX XX XX XX

**49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.-** (1) XX XX XX XX

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 41 या धारा 43क के अनुसरण में प्रत्यय किया जायेगा।

(3) XX XX XX XX

(4) इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) से (11) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.-** (1) से (2) XX XX

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के अशोध्य या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में अशोध्य या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह ऐसे अशोध्य या आधिक्य दावे या, यथास्थिति, ऐसी अशोध्य या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

XX XX XX XX XX

**52. स्रोत पर कर का संग्रहण.-** (1) से (5) XX XX

(6) यदि कोई प्रचालक उप-धारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलाप से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आयी हैं, के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सुधार सकेगा:

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को इस प्रकार शुद्ध किया जाना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(7) से (14) XX XX XX XX  
XX XX XX XX XX

**54. कर का प्रतिदाय.-** (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेश के वाणिज्यदूतावास या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, उस तिमाही, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया गया था, के अंतिम दिवस से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(3) से (9) XX XX XX XX

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किये जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई गयी है, वहां समुचित अधिकारी-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या कर, ब्याज या, यथास्थिति, शास्ति का संदाय किये जाने तक देय प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) देय प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।



**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

(11) से (14)      XX              XX              XX              XX

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(1)              XX              XX              XX              XX

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क)              XX              XX              XX              XX

(ख) माने गये निर्यात के संबंध में माल के प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय माल के संबंध में उपलब्ध है, वहां वह तारीख जिसको ऐसे माने गये निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की जाती है;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख-

(i) से (ii)              XX              XX              XX

(घ) से (ज)              XX              XX              XX

XX              XX              XX              XX              XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX  
(AMENDMENT) BILL, 2022**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill**further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

**2. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** In section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to the principal Act,-

(i) in sub-section (2),-

(a) after the existing clause (b) and its Explanation and before the existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered

person under section 38 has not been restricted;"; and

(b) in clause (c), the existing expression "or section 43A" shall be deleted; and

(ii) in sub-section (4), for the existing expression "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the expression "thirtieth day of November" shall be substituted.

**3. Amendment of section 29, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In sub-section (2) of section 29 of the principal Act,-

(i) in clause (b), for the existing expression "returns for three consecutive tax periods", the expression "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted; and

(ii) in clause (c), for the existing expression "a continuous period of six months", the expression "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

**4. Amendment of section 34, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing expression "September", the expression "the thirtieth day of November" shall be substituted.

**5. Amendment of section 37, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In section 37 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) after the existing expression "shall furnish, electronically," and before the existing expression "in such form", the expression "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(b) for the existing expression "shall be communicated to the recipient of the said supplies with in such time and in such manner as may be prescribed", the

expression “shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies” shall be substituted;

(c) the existing first proviso shall be deleted;

(d) in the second proviso, for the existing expression “Provided further that”, the expression “Provided that” shall be substituted;

(e) in the third proviso, for existing expression “Provided also that”, the expression “Provided further that” shall be substituted;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) in sub-section (3),-

(a) the existing expression “and which have remained unmatched under section 42 or section 43” shall be deleted; and

(b) in first proviso, for existing expression “furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the expression “the thirtieth day of November” shall be substituted; and

(iv) after sub-section (3) so amended, the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered

persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.”.

**6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** For the existing section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.-** (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of -

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,-

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period,

- as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
- (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
- (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
- (vi) by such other class of persons as may be prescribed.”.

**7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** In section 39 of the principal Act,-

(i) in sub-section (5), for the existing expression "twenty days", the expression "thirteen days" shall be substituted;

(ii) in sub-section (7), for the existing first proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,-

- (i) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(ii) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.”;

(iii) in sub-section (9),-

(a) for the existing expression “Subject to the provisions of sections 37 and 38, if”, the word “Where” shall be substituted;

(b) in proviso, for the existing expression “the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter”, the expression “the thirtieth day of November” shall be substituted;

(iv) in sub-section (10), for the existing expression “has not been furnished by him.”, the following shall be substituted, namely:-

“or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.”.

**8. Amendment of section 41, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** For the existing section 41 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“41.Availment of input tax credit.-** (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be

prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.”.

**9. Deletion of sections 42, 43 and 43A, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** The existing sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be deleted.

**10. Amendment of section 47, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In sub-section (1) of section 47 of the principal Act,-

- (i) the existing expression “or inward” shall be deleted;
- (ii) the existing expression “or section 38” shall be deleted; and
- (iii) after the existing expression “section 39 or section 45” and before the existing expression “by the due date”, the expression “or section 52” shall be inserted.

**11. Amendment of section 48, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the existing expression “,the details of inward supplies under section 38” shall be deleted.

**12. Amendment of section 49, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In section 49 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (2), the existing expression "or section 43A" shall be deleted;



(ii) in sub-section (4), after the existing expression "subject to such conditions" and before the existing expression "and within such time", the expression "and restrictions" shall be inserted; and

(iii) after the existing sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed. "

**13. Amendment of section 50, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** For the existing sub-section (3) of section 50 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely :-

“(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized, at such rate not exceeding twenty-four per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed”.

**14. Amendment of section 52, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In proviso to sub-section (6) of section 52 of the principal Act, for the existing expression “due date for furnishing of statement for the month of September”, the expression “thirtieth day of November” shall be substituted.

**15. Amendment of section 54, Rajathan Act No. 9 of 2017.-** In section 54 of the principal Act,-

(i) in proviso to sub-section (1), for the existing expression “the return furnished under section 39 in such”, the expression “such form and” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression “six months”, the expression “two years” shall be substituted;

(iii) in sub-section (10), the existing expression “under sub-section (3)” shall be deleted; and

(iv) after the existing sub-clause (b) and before the existing sub-clause (c) of clause (2) of Explanation after sub-section (14), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

“(ba) in case of zero rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;”.

**16. Amendment of notification issued under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act read with section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, retrospectively.-**

(1) The notification of the Government of Rajasthan Department of Finance, No.F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to

amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

**17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, retrospectively.-** (1) The notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

**18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State Tax in certain cases.-** (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-40 dated the 29th June, 2017 issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Goods and Services

Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

**19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act.-** (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No. F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-IV-72 dated the 30th September, 2019 issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

**THE FIRST SCHEDULE**

[See section 16 (1) ]

Notification number and Date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(46)FD/Tax/2017- Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018	In the said notification, in paragraph 1,for the words “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax”, the following shall be substituted, namely:–  “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification number F.12(46)FD/Tax/2017- Pt-V-104, dated the 20th December, 2019, all functions provided under the Rajasthan Goods and Services Tax Rules,2017.”.	22 <sup>nd</sup> June,2017.

**THE SECOND SCHEDULE**

[See section 17(1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(56)FD/Tax/2017- Pt-I-39 dated the 29th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figure “24”, the figure “18” shall be substituted.	1 <sup>st</sup> July, 2017.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022, *inter alia*, provides for the following, namely:-

- (i) Clause 2 of the Bill seeks to amend section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 by inserting a new clause (ba) in sub-section (2) thereof, so as to provide that input tax credit with respect to a supply may be availed only when such credit has not been restricted in the details communicated to the registered person under section 38.

It further seeks to amend sub-section (4) so as to provide that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note after the thirtieth day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

- (ii) Clause 3 of the Bill seeks to amend clause (b) of sub-section (2) of section 29 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that the registration of a person paying tax under section 10 is liable to be cancelled if the return for a financial year has not been furnished beyond three months from the due date of furnishing of the said return.

It further seeks to amend clause (c) of the said sub-section (2) so as to provide for prescribing continuous tax periods for which return has not been furnished, which would make a registration liable for cancellation, in respect

of any registered person, other than a person specified in clause (b) thereof.

- (iii) Clause 4 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 34 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for issuance of credit notes in respect of any supply made in a financial year.
- (iv) Clause 5 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for prescribing conditions and restrictions for furnishing the details of outward supply and the conditions and restrictions as well as manner and time for communication of the details of such outward supplies to concerned recipients.

It further seeks to delete first proviso to sub-section (1) and sub-section (2) so as to do away with two-way communication process in return filing.

It also seeks to amend sub-section (3) so as to remove reference to unmatched details under section 42 or section 43, as the said sections are proposed to be deleted, and to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for rectification of errors or omission in respect of details of outward supplies furnished under sub-section (1).

It also seeks to insert sub-section (4) so as to provide for tax period-wise sequential filing of details of outward supplies under sub-section (1).



- (v) Clause 6 of the Bill seeks to substitute a new section for section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Sub section (1) seeks to provide for prescribing such other supplies as well as the form and manner, time, conditions and restrictions for communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient by means of an auto-generated statement and to do away with two-way communication process in return filing.

Sub-section (2) seeks to provide for the details of inward supplies in respect of which input tax credit may be availed and the details of supplies on which input tax credit cannot be availed by the recipient.

- (vi) Clause 7 of the Bill seeks to amend sub-section (5) of section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that the non-resident taxable person shall furnish the return for a month within thirteen days after the end of the month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier.

It further seeks to substitute the first proviso to sub-section (7) so as to provide an option to the persons furnishing return under proviso to sub-section (1) to pay either the self-assessed tax or an amount that may be prescribed.

It also seeks to amend sub-section (9) by removing reference of section 37 and section 38 and to amend the proviso to said sub-section (9) so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date for the rectification of errors in the return furnished under section 39.

It also seeks to amend sub-section (10) so as to provide for furnishing of details of outward supplies of a tax period under sub-section (1) of section 37 as a condition for furnishing the return under section 39 for the said tax period.

- (vii) Clause 8 of the Bill seeks to substitute a new section for section 41 of the Rajasthan Goods and Services Tax, 2017 Act so as to do away with the concept of “claim” of eligible input tax credit on a “provisional” basis and to provide for availment of self-assessed input tax credit subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
- (viii) Clause 9 seeks to delete section 42 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 relating to matching, reversal and reclaim of input tax credit so as to do away with the concept of “claim” of eligible input tax credit on a “provisional” basis and subsequent matching, reversals and reclaim of such credit.

It further seeks to delete section 43 relating to matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability so as to do away with two-way communication process in return filing. It also seeks to delete section 43A.

- (ix) Clause 10 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 47 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for levy of late fee for delayed filing of return under section 52 and to remove reference of section 38 as there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.
- (x) Clause 11 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 48 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to remove reference to section 38 therefrom as

there is no requirement of furnishing details of inward supplies by the registered person under the said section 38.

- (xi) Clause 12 of the Bill seeks to amend sub-section (4) of section 49 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for prescribing restrictions for utilizing the amount available in the electronic credit ledger.

It further seeks to add a new sub-section (12) so as to provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through the electronic credit ledger.

- (xii) Clause 13 of the Bill seeks to substitute a new sub-section for sub-section (3) of section 50 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, with effect from the 1st July, 2017, so as to provide for levy of interest on input tax credit wrongly availed and utilised, and to provide for prescribing manner of calculation of interest in such cases.
- (xiii) Clause 14 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (6) of section 52 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for thirtieth day of November following the end of the financial year, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, as the last date upto which the rectification of errors shall be allowed in the statement furnished under sub-section (4).
- (xiv) Clause 15 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (1) of section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to explicitly provide that claim of refund of any balance in the electronic cash ledger shall be made in such form and manner as may be prescribed.

It further seeks to amend sub-section (2) so as to align it with sub-section (1) by providing time limit of two years from the last day of the quarter in which the supply was received for claiming refund of tax paid on inward supplies of goods or services or both by the person specified in the said sub-section.

It also seeks to amend sub-section (10) so as to extend the scope of the said sub-section to all types of refund claims. It also seeks to insert a new sub-clause (ba) in clause (2) of Explanation of sub-section (14) in order to provide clarity regarding the relevant date for filing refund claim in respect of supplies made to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

- (xv) Clause 16 of the Bill seeks to amend notification number F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-163, dated the 23rd January, 2018 to notify [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in), retrospectively, with effect from 22nd June, 2017, as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, for all functions provided under Rajasthan Goods and Services Tax Rules, 2017, save as otherwise provided in the notification issued vide number F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-V-104, dated the 20th December, 2019.
- (xvi) Clause 17 of the Bill seeks to amend notification number F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017, so as to notify rate of interest under sub-section (3) of section 50 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 as 18%, retrospectively, with effect from the 1st day of July, 2017.
- (xvii) Clause 18 of the Bill seeks to provide retrospective exemption from State tax in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil,

during the period from the 1st day of July, 2017 upto the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

It further seeks to provide that no refund shall be made of the said tax which has already been collected.

- (xviii) Clause 19 of the Bill seeks to give retrospective effect to the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, Number F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-IV-72 dated the 30th September, 2019 with effect from the 1st day of July, 2017.

It further seeks to provide that no refund shall be made of the State tax which has already been collected.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

**Minister Incharge.**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन महामहिम  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि संख्या प. 2(26)विधि/2/2022 जयपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2022

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

अशोक गहलोत,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 3 seeks to amend clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide by rules continuous tax periods for which return has not been furnished, which would make a registration liable for cancellation, in respect of any registered person, other than a person specified in clause (b) thereof.

Clause 6 seeks to substitute a new section for section 38 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Sub-section (1) seeks to empower the State Government to make rules to specify other supplies as well as the form and manner, time, conditions and restrictions for communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient by means of an auto-generated statement and to do away with two-way communication process in return filing.

Clause 8 seeks to substitute a new section for section 41 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to do away with the concept of “claim” of eligible input tax credit on a “provisional” basis and to provide for availment of self-assessed input tax credit subject to such conditions and restrictions as may be provided by rules.

Clause 12 seeks to amend section 49 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to insert sub-section (12) so as to empower the State Government to make rules to specify maximum proportion of output tax liability which may be discharged through the electronic credit ledger.

Clause 13 seeks to substitute a new sub-section for sub-section (3) of section 50 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for levy of interest on input tax credit wrongly availed and utilised, and to provide by rules the manner of calculation of interest in such cases.

The matters in respect of which rules or regulations may be made or notifications or order may be issued in accordance with the provisions of the Bill are matters of procedure and detail and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.

अशोक गहलोत,

**Minister Incharge.**



**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS  
AND SERVICES TAX ACT, 2017**

**(Act No. 9 of 2017)**

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**16. Eligibility and conditions for taking input tax credit.-** (1)      xx              xx              xx              xx              xx

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,-

(a) to (aa)      xx              xx              xx              xx

(b) he has received the goods or services or both.

**Explanation.-** For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services -

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.

(c) subject to the provisions of section 41 or section 43A, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(d)              xx              xx              xx              xx

(3)      xx              xx              xx              xx              xx

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**29. Cancellation or suspension of registration.-** (1) xx

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,-

(a)                      xx                      xx                      xx                      xx

(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or

(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or

(d) to (e)                      xx                      xx                      xx                      xx

(3) to (6)                      xx                      xx                      xx                      xx

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**34. Credit and debit notes.-** (1)                      xx                      xx                      xx

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person.

(3) to (4)	xx	xx	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX	XX	XX

**37. Furnishing details of outward supplies.-** (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies during the period from the eleventh day to the fifteenth day of the month succeeding the tax period:

Provided further that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided also that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) Every registered person who has been communicated the details under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of section 38, shall either accept or reject the details so communicated, on or before the seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding the tax period and the

details furnished by him under sub-section (1) shall stand amended accordingly.

(3) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**38. Furnishing details of inward supplies.-** (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall verify, validate, modify or delete, if required, the details relating to outward supplies and credit or debit notes communicated under sub-section (1) of section 37 to prepare the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received by him in respect of such supplies that have not been declared by the supplier under sub-section (1) of section 37.

(2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, the details of inward supplies of taxable goods or services or both, including inward supplies of

goods or services or both on which the tax is payable on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act or on which integrated goods and services tax is payable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975), and credit or debit notes received in respect of such supplies during a tax period after the tenth day but on or before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(3) to (5)      xx            xx            xx            xx            xx

**39.Furnishing of returns.-** (1) to (4)    xx      xx            xx

(5) Every registered non-resident taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within twenty days after the end of a calendar month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier.

(6)            xx            xx            xx            xx            xx

(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government,

the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.

(8)           xx           xx           xx           xx           xx

(9) Subject to the provisions of sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in such form and manner as may be prescribed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year to which such details pertain, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.

(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods has not been furnished by him.

XX           XX           XX           XX           XX

**41. Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof.-** (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take

the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said sub-section.

**42. Matching, reversal and reclaim of input tax credit.-**

(1) The details of every inward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the “recipient”) for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched-

- (a) with the corresponding details of outward supply furnished by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the “supplier”) in his valid return for the same tax period or any preceding tax period;
- (b) with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975) in respect of goods imported by him; and
- (c) for duplication of claims of input tax credit.

(2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit notes relating to inward supply that match with the details of corresponding outward supply or with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975) in respect of goods imported by him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated, in such manner as may be prescribed, to the recipient.

(3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of an inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid returns, the discrepancy shall be

communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which the duplication is communicated.

(7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.

(8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date of availing of credit till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier.



(10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

**43. Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability.-** (1) The details of every credit note relating to outward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the “supplier”) for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched-

- (a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the “recipient”) in his valid return for the same tax period or any subsequent tax period; and
- (b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.

(2) The claim for reduction in output tax liability by the supplier that matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the recipient shall be finally accepted and communicated, in such manner as may be prescribed, to the supplier.

(3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is found to be on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such duplication is communicated.

(7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5) if the recipient declares the details of the credit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.

(8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 in respect of the amount so added from the date of such claim for reduction in the output tax liability till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the supplier by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the recipient.

(10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such contravention takes place and such supplier shall be

liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

**43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.**- (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,—

- (i) within six months of taking registration;
- (ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed.

XX                      XX                      XX                      XX                      XX

**47. Levy of late fee.-** (1) Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37 or section 38 or returns required under section 39 or section 45 by the due date shall pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of five thousand rupees.

(2)                      xx                      xx                      xx                      xx                      xx

**48. Goods and services tax practitioners.-** (1)                      xx                      xx

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37, the details of inward supplies under section 38 and the return under section 39 or section 44 or section 45 and to perform such other functions in such manner as may be prescribed.

(3)                      xx                      xx                      xx                      xx                      xx

**49. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.-** (1)                      xx                      xx                      xx                      xx                      xx

(2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with section 41 or section 43A, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(3)           xx           xx           xx           xx           xx

(4) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(5) to (11)   xx           xx           xx           xx           xx

**50. Interest on delayed payment of tax.-** (1) to (2)   xx    xx

(3) A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

XX           XX           XX           XX           XX

**52. Collection of tax at source.-** (1) to (5)   xx    xx    xx

(6) If any operator after furnishing a statement under sub-section (4) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest, as specified in sub-section (1) of section 50:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of statement for the month of September following the

end of the financial year or the actual date of furnishing of the relevant annual statement, whichever is earlier.

(7) to (14)	xx	xx	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX	XX	XX

**54. Refund of tax.-** (1) Any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of two years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed:

Provided that a registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in the return furnished under section 39 in such manner as may be prescribed.

(2) A specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (Central Act No. 46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received.

(3) to (9)	xx	xx	xx	xx	xx
------------	----	----	----	----	----

(10) Where any refund is due under sub-section (3) to a registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court, Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer may-

- (a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty, as the case may be;
- (b) deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this Act or under the existing law.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, the expression “specified date” shall mean the last date for filing an appeal under this Act.

(11) to (14)            xx            xx            xx            xx

**Explanation.-** For the purposes of this section,-

(1)            xx            xx            xx            xx

(2) "relevant date" means -

(a)            xx            xx            xx            xx

(b) in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished;

(c) in the case of services exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of services themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such services, the date of -

(i) to (ii)            xx            xx            xx

(d) to (h)            xx            xx            xx            xx

XX            XX            XX            XX            XX

**Bill No.20 of 2022**

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX  
(AMENDMENT) BILL, 2022**



**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

MAHAVEER PRASAD SHARMA,  
**Secretary.**

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं.20

**राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,  
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

